रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73 REGISTERED No. D. (D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 12, 1981/भाद्र 21, 1903
No 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 12, 1981/BHADRA 21, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
Part II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1981

का० नि० आ० 243.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर (सिविलियन भंडारी और सिविलियन सहायक भंडारी) कोर भर्ती नियम 1969 को अधिक्रान्त करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर कोर में भंडारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर (भंडारी) कोर भर्ती नियम, 1981 ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 पद-संख्या वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3 भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4 निरर्हताएं.—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को उस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5 शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक	11*	साधारण केन्द्रीय सेवाएं समूह "ग" अराजपत्रित, अलिपिक-वर्गीय अनौद्योगिक	550-25-650-25-750 रु०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती किए जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जावेगा	यदि विभागीय, प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	ऐसे भंडार अधीक्षक, जिन्होंने इस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष सेवा की है।	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे:- (क) ब्रिगेडियर—अध्यक्ष (ख) विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर निदेशालय का प्रतिनिधि (ले० कर्नल/मेजर) —सदस्य (ग) मुख्य अभिलेख अधिकारी—विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर अभिलेख कार्यालय —सदस्य (घ) वि० और या० इ० विभाग से असंबद्ध बाहर से ले० कर्नल/मेजर के रैंक का एक अधिकारी (अधिमान्यतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का हो) —सदस्य (ङ) विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर निदेशालय से भिन्न यूनिट से ले० कर्नल/मेजर के रैंक का एक अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भंडार अधीक्षक	42*	साधारण केन्द्रीय सेवाएं, समूह "ग", अराजपत्रित अलिपिक-वर्गीय अनौद्योगिक	455-15-560-द०रो०-20-700 रु०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	ऐसे ज्येष्ठ भंडारी जिन्होंने सहायक भंडार अधीक्षक की भूतपूर्व और ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक की श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष सेवा की है।	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे:— (क) ब्रिगेडियर—अध्यक्ष (ख) विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर निदेशालय का प्रतिनिधि (लै० कर्नल/मेजर)—पदस्य (ग) मुख्य अभिलेख अधिकारी विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर कार्यालय—सदस्य (घ) वि० और या० इ० विभाग से असंबद्ध/बाहर से लै० कर्नल/मेजर के रैंक का एक अधिकारी (अधिमानतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो) —सदस्य (ङ) वि० और या० इ० निदेशालय से भिन्न यूनिट से लै० कर्नल/मेजर के रैंक का एक अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ज्येष्ठ भंडारी	105*	साधारण केन्द्रीय सेवाएं, समूह "ग" अलिपिक वर्गीय अनौद्योगिक	330-10-380-इ०रो०-12-500-इ०रो०-15-560 रु०	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	ऐसे भंडारी, जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् इस श्रेणी में 8 वर्ष सेवा की है।	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे:— (क) ब्रिगेडियर—अध्यक्ष (ख) विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर निदेशालय का प्रतिनिधि (लै० कर्नल/मेजर)—सदस्य (ग) मुख्य अभिलेख अधिकारी विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर कार्यालय—सदस्य (घ) वि० और या० इ० विभाग से असंबद्ध/बाहर से लै० कर्नल/	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
				मेजर के रैंक का एक अधिकारी (अधिमानत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति का हो)- -सदस्य (ङ) वि० और या० इ० निदेशालय से भिन्न यूनिट से ले० कर्नल/मेजर के रैंक का एक अधिकारी--सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7
भंडारी	193*	साधारण केन्द्रीय सेवाएं, समूह "ग" अराजपत्रित अनिपिक-वर्गीय अनौद्योगिक	260-6-290-इ०रो०- लागू नहीं होता 6-326-8-366-इ०रो०- 8-390-10-400 इ०		18 से 25 वर्ष के बीच (सरकार द्वारा जारी किए अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिल की जा सकती है।	मेट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	स्थानांतरण रक्षा सेवाओं की निरंतर विरचनाओं में सदृश समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में सेवा करने वाले व्यक्ति।	(पुष्टिकरण के लिए) समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे -- ( ) ब्रिगेडियर---अध्यक्ष (ख) विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर निदेशालय का प्रतिनिधित्व (ले० कर्नल/मेजर) ---सदस्य (ग) मुख्य अभिलेख अधिकारी विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर कार्यालय ---सदस्य (घ) वि० और या० इ० विभाग से असम्बद्ध बाहर से ले० कर्नल/मेजर के रैंक का एक अधिकारी (अधिमानत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो)--सदस्य (ङ) वि० और या०इ० निदेशालय से भिन्न यूनिट से ले० कर्नल/मेजर के रैंक का एक अधिकारी--सदस्य	लागू नहीं होता

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

टिप्पण 1 स्तम्भ 6 में उल्लिखित आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

2 ऐसे पदों की दशा में, जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में वह तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 25th August, 1981

S.R.O. 243.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Corps of Electrical and Mechanical Engineers (Civilian Storekeepers and Civilian Assistant Storekeepers) Recruitment Rules, 1969, except in respects of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Storekeepers in the Corps of Electrical and Mechanical Engineers, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Corps of Electrical and Mechanical Engineers (Storekeepers) Recruitment Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay :—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification :—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule .

5. Power to relax :—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Senior Store Superintendent	11*	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted Non-Ministerial Non-Industrial	Rs. 550-20-650-25-750.	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/transfer, grade from which promotion to be made	If a Deaprtmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By Promotion	Store Superintendents with 3 years continuous service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— (a) Brigadier— Chairman. (b) DEME's Representative (Lt. Col/Major)— Member. (c) Chief Record Officer, EME Record Officer— Member.	Not applicable

8	9	10	11	12	13
				(d) An Officer of the rank of Lt. Col/ Major from unconnected department/ outside EME (preferably Scheduled Caste/Scheduled Tribe— Member. (e) One Officer of the rank of Lt Col/ Major from a unit other than EME Directorate— Member	

1	2	3	4	5	6	7
Store Superintendent	42*	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. Non-Industrial	Rs. 455-15-560-EB-20-700.	Selection	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By promotion	Senior Store keepers with 5 years service in the erstwhile grade of Assistant Store Superintendents and Senior Storekeepers after appointment thereto on a regular basis	Group 'C' Departmental Promotion Committee consistng of :— (a) Brigadier— Chairman (b) DEME's Representative (Lt Col/ Major)— Member. (c) Chief Record Officer, EME Record Office— Member (d) An Officer of the rank of Lt. Col./ Major from unconnected department/ outside EME (Preferably Scheduled Caste/Scheduled Tribe) Member. (e) One Officer of the rank of Lt Col/ Major from a unit other than EME Directorate— Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
Senior Storekeeper	105*	General Central Services, Group 'C', Non-Ministerial. Non-Industrial	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Non-Selection	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By promotion	Storekeepers with 8 years of service in the grade after appointment thereto on regular basis.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— (a) Brigadier— Chairman. (b) DEME's Representative (Lt. Col/ Major)— Member. (c) Chief Record Officer EME Record Office— Member. (d) An Officer of the rank of Lt Col/Major from unconnected department/outside EME (preferably Scheduled Caste/ Scheduled Tribe)— Member. (e) One Officer of the rank of Lt. Col/ Major from a unit other than EME Directorate—Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
Storekeeper	193*	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial,	Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400	Not applicable	Between 18 and 25 years (relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions issued by the Government.	Matriculation or its equivalent

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By transfer falling which by direct recruitment	Transfer : Persons working in analogous equivalent or higher grade in the lower formations of Defence Services.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :— (a) Brigadier— Chairman. (b) DEME's Representative (Lt. Col/ Major)— Member. (c) Chief Record Officer—EME Record Office— Member. (d) An Officer of the rank of Lt Col/ Major from unconnected department/ outside EME (preferably Scheduled Caste/Scheduled Tribe). —Member (e) One Officer of the rank of Lt. Col/ Major from a unit other than EME Directorate. —Member	Not applicable.

*Subject to variation, dependent on workload.

NOTE : 1. The crucial date for determining the age limit mentioned in column 6 shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other those in the Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep).

2. In respect of the posts, the appointment to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit, shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

नई दिल्ली, 26 अगस्त 1981

का०नि०आ० 244—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और नौसेना समूह "ग" (अनौद्योगिक पद) भर्ती नियम, 1972 को, जहां तक कि इनका संबंध सिविल हाइड्रोग्राफिक सहायक मुख्य नक्शानवीस (मानचित्रीय), प्रधान नक्शानवीस (मानचित्रीय) ज्येष्ठ नक्शानवीस (मानचित्रीय) और नक्शानवीस (मानचित्रीय) के पदों से है, अधिक्रांत करते हुए उन मामलों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नौसेना में कतिपय समूह "ग" (अनौद्योगिक पद) पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नौसेना समूह "ग" अनौद्योगिक (हाइड्रोग्राफिक और मानचित्रीय पद) भर्ती नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 लागू होना :—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3 पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 3 से 5 में विनिर्दिष्ट हैं।

4 भर्ती की पद्धति आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

निरर्हताएं : वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6 शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

क्रम सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्ग	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अवयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	
	सिविल हाइड्रोग्राफिक सहायक	1	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह "ग" अराजपत्रित अलिपिक-वर्गीय अनौद्योगिक।	550-20-650-25-750 रु०	लागू नहीं होता	25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)।	1. किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय की अधिमानतः प्रथम श्रेणी में गणित में उपाधि या समतुल्य।	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दिशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	समूह 'ग' वि० प्रो० स० में निम्नलिखित होंगे :— 1 अध्यक्ष कमांडर या समतुल्य अथवा उससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी 2 सदस्य लेफ्टिनेंट कमांडर/लेफ्टिनेंट या समतुल्य पंक्ति के दो अधिकारी	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	मुख्य नक्शानवीस (मानचित्रीय)	3	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह "ग" अराजपत्रित अलिपिक-वर्गीय अनौद्योगिक	700-30-760-35-900 रु०	चयन	35 वर्ष	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय की गणित में उपाधि या समतुल्य । (2) समुद्री चार्ट संकलन का तीन वर्ष का अनुभव ।

9	10	11	12	13	14
नहीं	दो वर्ष	2. प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : ऐसा प्रधान नक्शानवीस जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिसने विभागीय अर्हता परीक्षा, अर्थात जिसके न्यूनतम अर्हक अंक कुल अंकों का 60 प्रतिशत होने चाहिएं, उत्तीर्ण की है।	समूह ग वि०प्रो० स० में निम्नलिखित होंगे :— 1. अध्यक्ष कमांडर या समतुल्य अथवा उससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी 2. सदस्य : लेफ्टिनेंट कमांडर/लेफ्टिनेंट या समतुल्य पंक्ति के 2 अधिकारी	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	प्रधान नक्शानवीस (मानचित्रीय)	7	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह "ग" अराजपत्रित अलिपिक-वर्गीय अनौद्योगिक	550-20-650-25-750 रु०	चयन	सीधी भर्ती के लिए 35 वर्ष	1. किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय की गणित में उपाधि या समतुल्य 2. समुद्री चार्ट संकलन का दो वर्ष का अनुभव ।

9	10	11	12	13	14
नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति : ऐसा ज्येष्ठ नक्शा नवीस जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिसने विभागीय अर्हता परीक्षा, अर्थात जिसके न्यूनतम अर्हक अंक कुल अंकों का 60 प्रतिशत होने चाहिएं उत्तीर्ण की है।	समूह 'ग' वि०प्रो०सं० में निम्नलिखित होंगे :— 1. अध्यक्ष कमांडर या समतुल्य अथवा उससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी । 2. सदस्य : लेफ्टिनेंट कमांडर/लेफ्टिनेंट या समतुल्य पंक्ति के 2 अधिकारी	लागू नही होता

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	ज्येष्ठ नक्शानवीस (मानचित्रीय)	16	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह 'ग' अराजपत्रित अलिपिक-वर्गीय अनौद्योगिक	425-15-500-रु०रो०-15-560-रु०रो०-20-700-रु०	चयन	सीधी भर्ती के लिए 35 वर्ष	1. उपाधियां समतुल्य जिसमें गणित एक विषय रहा है । 2. साफ समुद्री चार्टों के बनाने का एक वर्ष का अनुभव ।

9	10	11	12	13	14
नही	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : ऐसा नक्शानवीस जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिसने विभागीय अर्हता परीक्षा, अर्थात जिसके न्यूनतम अर्हक अंक कुल अंकों का 60 प्रतिशत होने चाहिएं उत्तीर्ण की हो।	समूह "ग" वि०प्रो०स० में निम्नलिखित होंगे :— 1. अध्यक्ष कमांडर या समतुल्य अथवा उससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी 2. सदस्य : लेफ्टिनेंट कमांडर/लेफ्टिनेंट या समतुल्य पंक्ति के 2 अधिकारी।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	नक्शानवीस (मानचित्रीय)	18	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह "ग" अराजपत्रित अनिपिक-वर्गीय अनौद्योगिक	330-10-380-व०रो०-12-500-व०रो०-15-560 रु०	लागू नहीं होता	25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)।	1. मेट्रिकुलेशन या समतुल्य 2. नक्शानवीस में डिप्लोमा। प्रमाण पत्र 3. वांछनीय : नक्शा/चार्ट बनाने का कुछ अनुभव।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	समूह "ग" वि०प्रो०सं० में निम्नलिखित होंगे :— 1. अध्यक्ष कमांडर या समतुल्य अथवा उससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी। 2. सदस्य : लेफ्टिनेंट कमांडर/लिपिटनेंट या समतुल्य पंक्ति के 2 अधिकारी।	लागू नहीं होता

टिप्पण : 1. अनुसूची के स्तम्भ 3 में वर्णित पदों की संख्या में कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

2. स्तंभ 7 में उल्लिखित आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, प्रत्येक मामले में, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

3. ऐसे पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में वह तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

4. अनुसूची के स्तम्भ 8 में वर्णित अनुभव संबंधी अर्हता नियुक्त प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती है, जब कि भर्ती के किसी प्रक्रम पर नियुक्त प्राधिकारी की यह राय है कि इनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

[फा० सं० सी०पी०-(एस की)/2836]

New Delhi, the 26th August, 1981

S.R.O. 244.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Navy Group 'C' (Non-Industrial Posts) Recruitment Rules, 1972, in so far as they relate to the post of Civil Hydrographic Assistant, Chief Draughtsman (Cartographic), Head draftsman (Cartographic), Senior Draughtsman (Cartographic) and Draughtsman (Cartographic), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'C' (Non-Industrial Posts) in the Navy, namely :—

1. (1) Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Navy Group 'C', Non-Industrial (Hydrographic and Cartographic Posts) Recruitment Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application :—These rules shall apply to the posts specified in column 2 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scales of pay :—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 3 to 5 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc :—The method of recruitment, age limit and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 6 to 14 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification : No persons,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax .—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, be order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Civil Hydrographic Assistant	1	Civilians in Defence Services, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial	Rs. 550-20-650-25-750.	Not applicable.	25 years. (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government).	Degree in Mathematics preferably 1st Class of a recognised University or equivalent.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by promotion or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion, or transfer grades from which promotion or transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
9	10	11	12	13	14
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Chairman : Officer of the rank of Commander or equivalent or above. 2. Members : 2 Officers of the rank of Lieutenanct Commander/Liuctenant or equivalent.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Chief Draughtsman (Cartographic)	3	Civilians in Defence, Services, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial.	Rs. 700-30-760-35-900.	Selection.	35 years.	(i) Degree in Mathematics of a recognised University or equivalent. (ii) Three years' experience in nautical chart compilation.

9	10	11	12	13	14
No	Two years.	By promotion, failing that by direct recruitment.	Promotion : Head Draughtsman with 3 years regular service in the grade and who have passed in a departmental qualifying test i.e. minimum qualifying marks of which should be 60% aggregate.	Gruup 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Chairman : Officer of the rank of Commander or equivalent or above. 2. Members : 2 Officers of the rank of Lieutenant Commander/Lieutenant or equivalent.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Head Draughtsman (Cartographic)	7	Civilians in Defence Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial.	Rs. 550-20-650-25-750.	Selection.	35 years for direct recruitment.	1. Degree in Mathematics of a recognised University or equivalent. 2. Two years experience in nautical chart compilation.

9	10	11	12	13	14
No.	Two years.	By promotion failing that by direct recruitment.	Promotion : Senior Draughtsman with 3 years regular service in the grade and who have passed in a departmental qualifying test i.e. minimum quaiing marks of which should be 60% aggregate.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Chairman : Officer of the rank of of Commander or equivalent or above. 2. Members : 2 Officers of the rank of Lieutenant Commander/Lieutenant or equivalent.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Senior Draughtsman (Cartographic)	16	Civilians in Defence Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial.	Rs. 425-15-500-EB-15-560-EB-20-700.	Selection	35 years for direct recruitment.	1. Degree or equivalent with mathematics as one of the subjects. 2. One year's experience in fair drawing of nautical charts.

9	10	11	12	13	14
No	Two years.	By promotion, failing that by direct recruitment.	Promotion: Draughtsman with 3 years regular service in the grade and who have passed in a departmental qualifying test, i.e. minimum qualifying marks of which should be 60% aggregate.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Chairman : Officer of the rank of Commander or equivalent or above. 2. Members : 2 Officers of the rank of Lieutenant Commander/Lieutenant or equivalent.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Draughtsman. (Cartographic)	18	Civilians in Defence Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial.	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Not applicable.	25 years. (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time).	1. Matriculation or equivalent. 2. Diploma/Certificate in Draughtsmanship. Desirable : 3. Some experience in map/chart drawing.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	By direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of : — 1. Chairman : Officer of the rank of Commander or equivalent or above. 2. Members : 2 Officers of the rank of Lieutenant Commander/Lieutenant or equivalent.	Not applicable

NOTES 1. The number of posts indicated in column 3 of the Schedule is subject to variation depending on workload.

2. The crucial date for determining the age limit mentioned in column 7 of the Schedule shall in each case, be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Inland and Lakshadweep).

3. In respect of posts, the appointments to which are made through the Employment Exchange, the crucial use for determining the age limit in each case be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

4. The qualifications regarding experience indicated in column 8 of the Scheduled relaxable at discretion of the appointing authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the appointing authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

[F. No. C.P. (SC)/2836]

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1981

का०नि०आ० 245.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सैनिक स्कूलों में प्रधानाचार्य (समूह क) और अध्यापक (राजपत्रित) समूह 'ख' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रधानाचार्य (समूह 'क') और अध्यापक (राजपत्रित) (समूह 'ख') सैनिक स्कूल, भर्ती नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :—उक्त पदो पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे/उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगे जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 12 में विनिर्दिष्ट है।

4 निरर्हताए :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहा केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नही डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशो के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

7. निरसन और व्यावृत्ति : इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमो के प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई भी नियम इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं ।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया या की गई समझी जाएगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदो की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल	5	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, समूह 'क' राजपत्रित	1200-50-1600 रु०	चयन	45 वर्ष से अधिक नही (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है). टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उन से भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी	नही	आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समतुल्य । (2) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से शिक्षण या शिक्षा में उपाधि/डिप्लोमा। (3) हाई स्कूल या हायर सेकेण्डरी स्कूल या किसी इण्टरमीडिएट कालेज में अध्ययन का 10 वर्ष का अनुभव । टिप्पण (1) अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

1	2	3	4	5	6	7	8
							टिप्पण (2) अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती है (हैं), जबकि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि इनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे । वांछनीय . (i) किसी हाई /हायर सेकेण्डरी स्कूल या इंटरमीडिएट कालेज के प्रशासनिक भार साधन का अनुभव । (ii) खेलों में प्रवीणता । (iii) सैनिक प्रशिक्षण/यू ओ टी सी/एन सी सी/स्काउटिंग का अनुभव ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
9	10	11	12	13	14
नहीं	दो वर्ष	20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा, 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति : सैनिक स्कूलों के ऐसे अध्यापकों (राजपत्रित) जिन्होंने उस श्रेणी में 10 वर्ष नियमित सेवा की है ।	(i) प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे— (1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय—सदस्य (3) निदेशक, सैनिक शिक्षा —सदस्य	सीधी भर्ती प्रोन्नति किए जाने समय और इन नियमों के किसी उपबन्ध को संशोधित/शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

9	10	11	12	13	14
				(ii) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे— (1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष (2) रक्षा मंत्रालय के संबद्ध प्रशासन का संयुक्त सचिव —सदस्य (3) निदेशक, सैनिक शिक्षा सेना मुख्यालय —सदस्य टिप्पण पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी । किन्तु, यदि आयोग इनका अनुमोदन नहीं करता है तो, विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी ।	

1	2	3	4	5	6	7	8
अध्यापक (राजपत्रित) सैनिक स्कूल	50	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह 'ख' राजपत्रित	650-30-740-35-880-द०रो० 40-960 रु०	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवाओं के लिए शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में, उस दशा में, शिथिल की जा सकती है(हैं), जब कि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि इनके	नहीं	आवश्यक (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की संबद्ध विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य । (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षण और शिक्षा में उपाधि/डिप्लोमा । टिप्पण 1 अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों

1	2	3	4	5	6	7	8
				लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।			और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में, उस दशा में, शिथिल की जा सकती है/(हैं), जब कि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि इनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। टिप्पण 3 : ठीक शैक्षिक अर्हताओं और अपेक्षित अनुभव के बारे में प्रत्येक भर्ती के समय उपदर्शित किया जाएगा। वांछनीय : (i) किसी हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल या इंटर मीडिएट कालेज के प्रशासनिक भारसाधन का अनुभव। (ii) खेलों में प्रवीणता। (iii) सैनिक/प्रशिक्षण/यूथ्रोटीसी/एन सी सी/स्काउटिंग का अनुभव।

9	10	11	12	13	14
आयु । नहीं शैक्षिक अर्हताएं : किन्तु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की संबद्ध विषय में कम से कम स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य अवश्य हो	2 वर्ष	66 2/3 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। 33 1/3 प्रतिशत सीधे भर्ती द्वारा टिप्पण : प्रोन्नति विषयानुसार की जाएगी।	'प्रोन्नति सैनिक स्कूलों के ऐसे सहायक अध्यापक जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्हें संबद्ध विषय में अध्यापन का लगातार अनुभव है और जिनकी उस श्रेणी में ज्येष्ठता नियत है।	प्रोन्नति और साथ ही साथ विभागीय प्रोन्नति और सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों की पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे— 1 संयुक्त सचिव (जी) —अध्यक्ष 2 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी —सदस्य 3 निदेशक, सैनिक शिक्षा स्थल सेना मुख्यालय —सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएगी। किन्तु यदि आयोग इनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	सीधी भर्ती किए जाते समय और इन नियमों के किसी उपबंध को संशोधित/शिथिल करने-समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[एम एफ का पी सी सं० 3/(सं० 70580/74/जी एस/एम टी 15(क)]

एम० सी जुनेजा, अवर सचिव

New Delhi, the 27th August, 1981

S.R.O. 245.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Principal (Group 'A') and Master (Gazetted) (Group 'B') in the Military Schools, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Principal (Group 'A') and Master (Gazetted) (Group 'B') Military Schools, Recruitment Rules 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay :—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualification etc :—The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification :—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7. Repeal and Saving :—Any rules corrsponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-Selection post	Age limit for direct recruitments.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
Principal, Military Schools	5	Civilian in Defence Services Group 'A' Gazetted.	Rs. 1200-50-1600	Selection	Not exceeding 45 years. (Relaxable for Government servants) (Note:—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	No	Essential : (i) At least Second Class Master's Degree of a recognised University or its equivalent. (ii) Degree/Diploma in Teaching or Education from a recognised Institution or equivalent. (iii) 10 Years' experience of teaching in High or Higher Secondary School or an Intermediate College. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates

1	2	3	4	5	6	7	8
							belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : (i) Experience in administrative charge of a recognised High/ Higher Secondary School or Intermediate College. (ii) Proficiency in games. (iii) Experience of Military Training/UOTC/ NCC/Scouting.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
9	10	11	12	13	14
No	2 years.	20% by promotion, failing which by direct recruitment, 80% by direct recruitment.	Promotion : Master (Gazetted) in the Military Schools with 10 years' regular service in the grade.	(i) Group 'A' DPC for considering promotion consisting of— 1. Chairman/member, UPSC— Chairman. 2. Joint Secretary Ministry of Defence— Member. 3. Director, Army Education— Member. (ii) Group 'A' DPC (for considering confirmation of direct recruits) consisting of — 1. Chairman/Member, UPSC— Chairman. 2. Joint Secretary Ministry of Defence from Adm. concerned— Member.	Consultation wtih UPSC necessary while making direct recruitment, promotion and amending/relaxing any of the provisions of these rules.

13	14
	3. Director, Army Education, Army Headquarters.— Member.
	Note :—The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.

[PC No. 3 to MF/No. 70580/74/GS/MT 15(a)]
M. C. JUNEJA, Under Secy

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1981

का०नि०आ० 246.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन समूह 'ग' अराजपत्रित (तकनीकी वैज्ञानिक और अन्य अलिपिक वर्गीय) पद भर्ती नियम, 1968 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' अराजपत्रित (तकनीकी, वैज्ञानिक और अन्य अलिपिकवर्गीय) पद भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन समूह 'ग' अराजपत्रित (तकनीकी, वैज्ञानिक और अन्य अलिपिक वर्गीय) पद भर्ती नियम, 1968 की अनुसूची में,—

(1) चार्जमैन श्रेणी 1 के पद से संबंधित क्रम सं० 6 के सामने,—

(i) स्तम्भ 11 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात—
"प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा',

(ii) स्तम्भ 12 में, अंत में, 'सेवा की है', शब्दों के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—
'और 425-700 रु० के वेतनमान में सूक्ष्म यांत्रिक जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।"

(2) पर्यवेक्षक तकनीकी पद से संबंधित क्रम सं० 8 के सामने स्तम्भ 8 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात:—
"अपेक्षित विषय में इंजीनियरी या प्रोद्योगिकी में उपाधि।

या

भौतिकी रसायन और गणित के साथ विज्ञान में स्नातक की उपाधि।

या

मैट्रिकुलेशन और उन मदों के लिए जिसके लिए उस क्षेत्र में अर्हता अपेक्षित केंद्रीय का राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कटाई और सिलाई में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र तथा सात वर्ष का अनुभव।"

(3) टेलीफोन आपरेटर 'श्रेणी 1' के पद से संबंधित क्रम सं० 35 क को क्रम सं० 35ख के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: संख्यांकित क्रम सं० 35ख के पूर्व निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात :

1	2	3	4	5	6	7
"35क टेलीफोन पर्यवेक्षक	2 (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय)	425-15-500-द०रो०-15-560-20-700 रु०	प्रवरण	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	टेलीफोन आपरेटर श्रेणी 1 जिसने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे— (क) अध्यक्ष: स्थापन या प्रयोगशाला का निदेशक या भारसाधक अधिकारी (ख) सदस्य. (i) स्थापन या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी (जो 700-1300 रु० के वेतनमान से कम में न हो।) (ii) विभागीय प्रोन्नति समिति के विभागीय सदस्य की पंक्ति समतुल्य पंक्ति का एक अधिकारी जो विभाग से सम्बद्ध न हो। (जो 700-1300 रु० के वेतनमान से कम में न हो)।"	

टिप्पण: अधिसूचना सं० सा०का०नि०सं० 213 ता० 26-6-1968 के साथ प्रकाशित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन समूह 'ग' अराजपत्रित (तकनीकी वैज्ञानिक और अन्य अलिपिकवर्गीय) पद भर्ती नियम, 1968 का निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया है:—

(1) सा०का०नि० सं० 256, ता० 17-8-74

(2) सा०का०नि० सं० 380, ता० 16-11-74

(3) सा०का०नि० सं० 120, ता० 29-3-75

(4) सा०का०नि० सं० 211, ता० 14-6-75

(5) सा०का०नि० सं० 261, ता० 2-8-75

(6) सा०का०नि० सं० 130, ता० 29-5-76

(7) सा०का०नि० सं० 101, ता० 24-4-79

(8) सा०का०नि० सं० 356, ता० 15-12-79 और सा०का०नि० सं० 88, ता० 21-3-81

[सं० 87661/वे०न०/क०/अ०वि०-21(क)]

टी०पी० सुन्दरराजन, अवर सचिव

New Delhi, the 29th August, 1981

S.R.O. 246.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Organisation, Group 'C', Non-Gazetted, (Technical, Scientific and other Non-Ministerial) posts Recruitment Rules, 1968, namely :—

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Organisation, Group 'C', Non-Gazetted (Technical, Scientific and other Non-Ministerial) posts Recruitment (Second Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Defence Research and Development Organisation, Group 'C', Non-Gazetted (Technical, Scientific and other Non-Ministerial) posts Recruitment Rules, 1968,—

(1) Against serial No. 6 relating to the post of Chargeman Grade I,—

(i) in column 11, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"By promotion, failing which by direct recruit",

(ii) in column 12, at the end after the word "grade", the following shall be inserted, namely :—

"and Precision Mechanic in the scale of Rs. 425—700, with three years' regular service in the grade".

(2) against serial number 8 relating to the post of Supervisor Technical, in column 8, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Diploma in Engineering or Technology in the required subject.

OR

B.Sc. Degree with Physics, Chemistry and Mathematics.

OR

Matriculation with Diploma or Certificate in Cutting and Tailoring from a Central or State Government recognised Institute with seven years: experience, for posts requiring qualifications in that field".

(3) serial number 35A relating to the post of "Telephone Operator Grade I" shall be renumbered as serial number 35B and before serial number 35B as so renumbered, the following entries shall be inserted, namely :—

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7	8
"35A. Telephone Supervisor		2 (Subject to variation depending on workload).	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted, Non-Ministerial)	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	Non-Selection	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12	13
No	Two years	By promotion	Telephone Operator Grade-I with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— (a) Chairman : Director or Officer in charge of the Establishment or Laboratory. (b) Members : (i) Two Senior Officers of the Establishment or Laboratory (in the scale of pay of not less than Rs. 700-1300) (ii) An Officer equivalent to the rank of departmental member of the Departmental Promotion Committee but not concerned with the Department (in the scale of pay of not less than Rs. 700-1300)".

Note.—The Defence Research and Development Organisation, Group 'C' Non-Gazetted (Technical, Scientific and other Non-Ministerial) Posts Recruitment Rules, 1968, published with notification No. S.R.O. 213, dated 26-6-1968 have been further amended by (1) S.R.O. No. 256, dated 17-8-74, (2) S.R.O. No. 380, dated 16-11-74, (3) S.R.O. No.120, dated 29-3-75, (4) SRO No. 211, dt. 14-6-75, (5) SRO No. 261, dt. 2-8-75, (6) S.R.O. No. 130, dated 29-5-76, (7) S.R.O.No 101, dated 21-4-79, (8) S.R.O. No. 356, dated 15-12-79 and SRO No. 88 dated 21-3-81.

[No. 87661|SC|Tech|Pers|RD-21 (a)]

T. P. SUNDRARAJAN, Under Secy

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1981

का० नि० आ० 247.—केन्द्रीय सरकार, नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नौसेना (अनुशासन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विनियम, 1965* का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम नौसेना (अनुशासन और प्रकीर्ण उपबंध) (प्रथम संशोधन) विनियम, 1981 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नौसेना (अनुशासन और प्रकीर्ण उपबंध) विनियम, 1965 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) में,—

(1) विनियम के खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(घघ) "कमान आफिसर" से ऐसा आफिसर या अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास पोत या स्थापन की वास्तविक कमान है ;

(2) * * * *

(3) विनियम 7क में,—

(क) उपविनियम (1) में, "दण्ड सं० 6" शब्दों और अंक के स्थान पर "दण्ड सं० 3,5,6" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

*नौसेना (अनुशासन और प्रकीर्ण उपबंध) विनियम 1965 के पूर्वतर संशोधन

क्रम सं०	संशोधित विनियम	संशोधन के लिए प्राधिकार (अर्थात् का० नि० आ० सं०)
1	2	3
1.	209(9)	15अ तारीख 15-5-67 (अ० सं० 183/67)
2.	221 [उपविनियम(1) का प्रतिस्थापन]	3 अ० ता० 27-3-68 (अ०सं० 546/68)
3.	7, 12, 21, 38, 41, 43, 65, 68, 70, 76	8 अ ता० 8-7-68
4.	नया विनियम 7क अन्तःस्थापित किया गया।	126, ता० 5-1-70
5.	198 उप विनियम (I) प्रतिस्थापित किया गया ।	65 ता० 21-1-71
6.	220 उपविनियम (II) अन्तःस्थापित किया गया।	314 ता० 14-8-71
7.	7, 13, 30, 36, 37, 38, 39,, 50, 51, 53, 56, 59, 78, 84, 222, 225, 234 परिशिष्ट ।	वर्ष, 1973
8.	73, 86, प्रतिस्थापित किया गया। प्ररूप 4 में परिशिष्ट I का संशोधन किया गया।	37 ता० 20-12-73
9.	समस्त विनियमों "ड्राफ्ट" शब्द और "एडवांसमेंट" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है क्रमशः "स्थानान्तरण" और "प्रोन्नति" शब्द रखे जाएंगे।	360 ता० 10-11-75
10.	7, 13, 16, 29, 30, 36, 37, 38 39, 50, 51, 53, 56, 59, 63, 74, 84, 103, 119, 222, 223, 234, और परिशिष्ट I संशोधित	199/74 ता० 10-9-74
11.	189	2 ता० 23-12-78

(ख) उपविनियम (4) में, "किसी रेट में अवनत" शब्दों के स्थान पर "किसी रैंक में अवनत" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(4) विनियम 13 के उपविनियम (1) में "सं० 7 आचरण के लिए द्वितीय श्रेणी में अवनत" शब्दों और अंक का लोप किया जाएगा;

(5) विनियम 14 में "दंड सं० 1 से 5 और 7 से 9" शब्द और अंक के स्थान पर "दंड सं० 1 से 5 और 8 तथा 9" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(6) विनियम 15 के उपविनियम (3) में "सं० 4,5" शब्द और अंक के पश्चात् आने वाले अंक "7" का लोप किया जाएगा ;

(7) विनियम 16 के उपविनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(5) उन दंड वारंटों के साथ, जिनके लिए वरिष्ठ प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित है, कमान आफिसर द्वारा अभिलिखित साक्ष्य का सारांश लगाया जाएगा" ;

(8) विनियम 19 में,—

(क) उपविनियम ( ) में "कमान आफिसर" शब्द के पश्चात् "या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य आफिसर" शब्द जोड़े जाएंगे ;

(ख) उपविनियम (3) में "कार्टर डेक" शब्दों के बाद "या कोई अन्य उपयुक्त स्थान" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपविनियम (4) में "कार्टर डेक" शब्दों के पश्चात् "या किसी अन्य उपयुक्त स्थान" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(9) विनियम 29 के उपविनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) यदि दिए जाने वाले दंड के वारंट दंड होने की संभावना है जिसमें वरिष्ठ आफिसर का अनुमोदन अपेक्षित है तो साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य का सारांश अभिलिखित किया जाएगा";

(10) विनियम 34 में उपविनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(7) जब कभी ऐसे अपराधी पर कमान आफिसर द्वारा दण्डादेश पारित किया जाएगा जो इस विनियमों के अधीन किसी पूर्ववर्ती अपराध के लिए पहले से ही निरोध या कारावास के दंड के अधीन है तो कमान आफिसर उस अपराध के लिए जिसके लिए वह विचाराधीन है, निरोध या कारावास का दंड दे सकेगा जो उस निरोध या कारावास के अवसान पर प्रारम्भ होगा जिसके लिए वह पहले दण्डादिष्ट किया गया था :

परन्तु इस उपनियम के अनुसरण में किसी व्यक्ति को, निरोध या दिए गए कारावास के दण्ड की उतनी अवधि,

जो विनियम 13 के उपविनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट तीन मास की अधिकतम अवधि से निरोध की अवधि को बढ़ा देगी, माफ की गई समझी जाएगी ।" ;

(11) विनियम 37 के उपविनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) पदच्युति के दण्ड में अच्छे आचरण पदक से वंचित किए जाने के सिवाए, कोई अन्य दण्ड स्वतः समाविष्ट नहीं होगा"।

यदि समुचित हो तो रैंक में अवनति या अच्छे आचरण पदक (पदकों) से वंचित किए जाने के दण्ड को दण्ड में सम्मिलित किया जाएगा ।

(12) विनियम 38 में उपविनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"यदि किसी मुख्य पैटी आफिसर को रैंक में संक्षेपतः अवनत किया जाता है तो उसे नौसेना से निर्मुक्त होने का विकल्प दिया जाएगा"

(13) विनियम 40 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"40-सिविल अपराधों की बाबत जुर्माना (सं० 5)— (1) जब कोई नाविक किसी सिविल अपराध का दोषी पाया जाता है तो उस पर दो सौ पचास रुपये का जुर्माना संक्षेपतः अधिरोपित किया जा सकेगा और जुर्माने की राशि पोत अग्रिमधन खाते में जमा की जाएगी ।

(2) उपविनियम (1) के अधीन जुर्माने का दण्डादेश पारित करने वाला कमान आफिसर वसूल की गई रकम को पूर्णतः या भागतः किसी व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में संदत्त किए जाने के लिए उपयोजित करने का आदेश दे सकेगा जिसे उक्त अपराध के कारण कोई हानि या क्षति हुई है।"

(14) विनियम 41 के उपविनियम (5) में "और नाविकों को छुट्टी भंग करने के आचरण के लिए द्वितीय श्रेणी में तब तक अवनत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह गम्भीर या चौथी बार (या उससे अधिक बार) पुनरावृत्त किया गया अपराध नहीं है" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(15) "आचरण (सं० 7) के लिए द्वितीय श्रेणी में अवनति" शीर्षक और उसके अधीन विनियम 51 से 54 का लोप किया जाएगा ;

(16) विनियम 55 के उपविनियम (3) में "80° फा०" अंक और अक्षर के स्थान पर "30° सें० (सेंटीग्रेड)" अंक, अक्षर शब्द रखे जाएंगे ;

(17) विनियम 56 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"56 मुख्य रैंक धारण करने वाले नाविक जो रैंक में अवनत किए जा सकते हैं, सेल से दंडाविष्ट नहीं किए जाएंगे और ऐसे नाविक जो मुख्य रैंक धारण करते हैं और जिन्हें रैंक में अवनत नहीं किया जा सकता है, उन्हें सेल का दण्ड दिया जा सकता है, किन्तु यह केवल निम्नलिखित अपराधों की दशा में ही होगा :—

(क) घोर अनधीनता ;

(ख) अभित्यजन और पदस्थान का अभित्यजन ।

(ग) पहरा पर सो जाना ;

(घ) बेइमानी

(ङ) तस्करी

(च) छुट्टी के बिना पोत नौका या कार्यबल को छोड़ना ;

(छ) ड्यूटी पर मस्ती ;

(ज) छुट्टी के बिना अनुपस्थित रहने का गंभीर अपराध करना या उनकी चौथी (या पश्चातवर्ती) पुनरावृत्ति ;

(झ) सेंसर विनियमों का अति घोर उल्लंघन ;

(ञ) तट पर गम्भीर अवचार जब सिविल प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई न की गई हो ;

(ट) कर्तव्य की लगातार उपेक्षा ।" ;

(18) विनियम 58 में,—(क) उपविनियम (2) के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

(क) अनुकल्पतः अपराधी को ऐसे उत्पादनशील और उपयोग कार्य दिए जा सकते हैं जो उसने पहले ही सीख रखे हैं या जो वह आसानी से सीख सकता है ।" ;

(ख) उपविनियम (3) में "अनुज्ञा दी जाएगी" शब्दों के स्थान पर "अनुज्ञा नहीं दी जाएगी" शब्द रखे जाएंगे ।

(19) विनियम 59 के उपविनियम (6) में खंड (क) का लोप किया जाएगा ;

(20) विनियम 63 के उपविनियम (1) के खण्ड (ग) में "आचरण के लिए द्वितीय श्रेणी में अवनति" शब्दों के स्थान पर "रैंक में अवनति " शब्द रखे जाएंगे ;

(21) विनियम 64 में "मुख्य भेट" शब्दों के स्थान पर "मुख्य रैंक" शब्द रखे जाएंगे ।

(22) अध्याय 3 के शीर्षक में, "प्रशिक्षणाधीन" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(23) विनियम 74 में,—

(क) प्रारम्भिक वाक्य में "प्रशिक्षणाधीन" शब्द का लोप किया जाएगा,

(ख) खंड सं० 6 और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ;

(24) निम्नलिखित प्रत्येक विनियम में विद्यमान पार्श्वशीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्वशीर्ष रखा जाएगा अर्थात् :—

(i) "72 सेल में परिरोध (सं० 4)"

(ii) 80 "अलग थलग रखना (सं० 5)"

(iii) 82 "छुट्टी रोक देना (सं० 8)"

(iv) 83 "अतिरिक्त ड्रिल (सं० 10)"

(v) 84 "रैंक में अवनति (सं० 11)" ;

(25) विनियम 81 का लोप किया जाएगा ;

(26) विनियम 93 में "आपात" शब्द के स्थान पर "अत्यावश्यकता" शब्द रखे जाएंगे ;

(27) विनियम 94 के उपनियम (1) में,—

(i) खण्ड (1) में "नौसेनाध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर "पोत का कमान आफिसर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खण्ड (ख) में "आफिसर" शब्द के पश्चात् "या मास्टर मुख्य पैटी आफिसर या मुख्य पैटी आफिसर" शब्द जोड़े जाएंगे ;

(28) विनियम 115 के पूर्व और सिविल प्राधिकारी शीर्षक के अधीन निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा ;

"114क मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपित नौसेना अधिनियम के अध्यधीन व्यक्ति :—

उन मामलों मे, जिनमें कोई व्यक्ति जो नौसेना विधि के अध्यधीन है और जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है जो किसी ऐसे अपराध से आरोपित है जिसके लिए वह सेना न्यायालय के अधीन विचारण किए जाने का दायी है, अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी जो परिशिष्ट 4 मे है ,

(29) विनियम 115 के उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा :—

"(2) नौसेना की अभिरक्षा में किसी आफिसर या नाविक पर किसी सिविल न्यायालय में विचारण के लिए सिविल प्राधिकारियो द्वारा माग, उच्च न्यायालय द्वारा बन्दी-प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति के निदेश या सरकार के इस निमित आदेश के अधीन ही की जाएगी अन्यथा नही" .

(30) विनियम 121 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"121 सिविल न्यायालय द्वारा किसी आफिसर की दोषसिद्धि .—(1) जहां किसी सिविल न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराए जाने पर केन्द्रीय सरकार या नौसेनाध्यक्ष यह समझता है कि आफिसर का आचरण जिस पर उसकी दोष सिद्धि हुई है, ऐसा है कि उसको आगे सेवा मे रखना अवांछनीय है, वहां सिद्धदोष ठहराने वाले न्यायालय के निर्णय को अनुप्रमाणित प्रति उपनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट रीति में उस आफिसर की सेवा को समाप्त करने के लिए नौसेना अध्यक्ष की सिफारिश के साथ केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी ;

(2) केन्द्रीय सरकार को उपविनियम (1) के उपबन्धों के अधीन मामला भेजते समय नौसेनाध्यक्ष यह सिफारिश करेगा कि उस आफिसर की सेवा समाप्त की जानी चाहिए या नही और यदि की जानी चाहिए तो उस आफिसर को

(क) सेवा से पदच्युत किया जाना चाहिए ; या

(ख) सेवोन्मुक्त किया जाना चाहिए , या

(ग) सेवानिवृत्त होने के लिए ; या

(घ) पदत्याग करने के लिए अपेक्षा की जानी चाहिए ।

(3) केन्द्रीय सरकार, सिविल न्यायालय के निर्णय और नौसेनाध्यक्ष की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् उस आफिसर को पेंशन के साथ या पेंशन के बिना सेवा से पदच्युत या सेवान्मुक्त कर सकेगी या सेवानिवृत्त होने या पद त्याग करने के लिए उससे अपेक्षा कर सकेगा और उसके ऐसा करने से इन्कार करने पर उस आफिसर को अनुज्ञेय पेंशन या उपदान पर यदि कोई हो, अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया जा सकेगा ।" ;

(31) विनियम 136 में,—

(क) उपविनियम (1) मे "दोषी पाया जाता है" शब्दो के पश्चात् "अच्छा आचरण बैंज समपहृत कर लिया जाएगा और" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ,

(ख) उपविनियम (1) में "एस० एम० और जी० सी० पदक" अक्षरों और शब्दो के पश्चात् "अच्छा आचरण बैंज" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(32) विनियम 138 के उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् —

"(1) अभित्याजक की गिरफ्तारी और उसके बाद उसके मामले को निपटाने की बाबत अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 43 की उपधारा (1), धारा 56 और धारा 475 तथा अधिनियम की धारा 83, 84 और 85 के उपबंधों के अनुसार शासित होगी।" ;

(33) विनियम 139 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"139 जब मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपित किया जाए :— दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन कोई भी व्यक्ति भारतीय नौसेना का अभित्याजक होने के संदेह पर वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है और जब वह इस प्रकार गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा ।" ,

(34) विनियम 146 के उपविनियम (1) मे "5 रु०" अंक और शब्द के स्थान पर "100 रु" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(35) विनियम 155 के उपविनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

(3) प्रत्येक आरोप पत्र के प्रारम्भ मे आरोपित व्यक्ति का नाम और वर्णन रहेगा और उसमें उसका रैंक, संख्या और उस पोत का नाम जिसका वह है, लिखा होगा ;

(36) विनियम 158 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"158 परिस्थिति पत्र का संशोधन—संयोजक प्राधिकारी परिस्थिति पत्र का ऐसे संशोधन कर सकता है जैसे उसे लगाए गए आरोप और साक्ष्य के सारांश के आधार पर आवश्यक प्रतीत हो । ऐसे मामले मे परिस्थिति पत्र के प्रथम पृष्ठ के शीर्ष पर संकेत-लिपि में टिप्पण "संयोजक प्राधिकारी द्वारा यथा संशोधित" लिखा जाएगा और सभी संशोधन, संयोजक प्राधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर से अनुप्रमाणित किए जाएंगे । अंतिम रूप से अनुमादित परिस्थिति पत्र पर संयोजक प्राधिकारी के हस्ताक्षर होंगे जिससे उसका अनुमोदन उपदर्शित होता है।" ;

(37) विनियम 177 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"177 जब अभियुक्त अपने दोषी होने का अभिवचन करे :—इससे पूर्व कि न्यायालय दोषी होने का अभिवचन अभिगृहीत करे और विचारण के लिए कोई अन्य आरोप नही है तो न्यायालय अभियोजक व परिस्थिति-पत्र पढ़ने का आदेश देगा ।" ;

(38) विनियम 185 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"185-क नौपरिवहन संबंधी मामलों में निष्कर्ष के कारण :—"दोषी होने" या "दोषी न होने के" निष्कर्ष के कारण, जिसके अन्तर्गत वे मामले भी है जिनमें न्यायालय द्वारा 55 और 55क के अधीन आरोप मे "कि ऐसा कोई मामला बनता ही नही जिसका उत्तर दिया जाए" का अभिवचन अभिगृहीत कर लेना है, लेखबद्ध किए जाएंगे ।" ,

(39) विनियम 187 के पूर्व "साधारण" शब्द केन्द्रीय शीर्षक के रूप में अन्तःस्थापित किया जाएगा ;

(4) विनियम 193 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"193क लघु दंड देने की सेना न्यायालय की शक्ति :—

उन लघु दंडों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो नौसेना रूढ़ि के अनुसार दिए जा सकते हैं सेना न्यायालय इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित दंड दे सकता है—

(क) मेस में या केनवेस पर्दे के अन्दर चौदह दिन से अनधिक अवधि का एकान्त परिरोध (सं० 9) ;

(ख) अच्छा आचरण बेज और अच्छा आचरण पदक से वंचित किया जाना (सं० 9) ,

(ग) चौदह दिन से अनधिक अवधि के लिए अतिरिक्त कार्य और ड्रिल (सं० 11) ;

(घ) साठ दिन से अनधिक की अवधि के लिए छुट्टी रोक दिया जाना (सं० 12) ,

(ङ) सात दिन से अनधिक की अवधि के लिए एक दिन में दो घंटे अतिरिक्त कार्य और ड्रिल (सं० 13) ;

(41) विनियम 209 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त में जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण इस विनियम के प्रयोजन के लिए "कार्यवाहियों" के अन्तर्गत बोर्ड के निष्कर्ष भी होंगे किन्तु बोर्ड की सिफारिश उसके अन्तर्गत नहीं होगी।" ;

(42) विनियम 215 में, —

(i) उपविनियम (1) में, "आफिसरों द्वारा पढ़ा गया शब्दों शब्दों के स्थान पर "आफिसर द्वारा पढ़ा गया" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपविनियम 3 का लोप किया जाएगा ;

(43) विनियम 216 में,

(i) उपविनियम (4) का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपविनियम (5) में,

(क) "या उपविनियम (4)" शब्दों, अंक और कोष्ठक का लोप किया जाएगा ;

(ख) विद्यमान खंड (क), (ख) और (ग) को क्रमशः खंड (ख), (ग) और (घ) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खंड (ख) के पूर्व निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(क) नौसेना सेवा से पदच्युत , या"

(iii) उपविनियम (6) में,

(क) "या सिविल न्यायालय के निर्णय" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) "सेवोन्मुक्त कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर "पदच्युत या सेवोन्मुक्त कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(44) विनियम 219 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"219 वह तारीख जिससे पदच्युति, सेवोन्मुक्ति सेवानिवृत्ति, पदत्याग प्रभावी होंगे :— (1) किसी आफिसर का धारा 15 के अधीन पदच्युत या सेवोन्मुक्त किया जाना या ऐसे आफिसर की सेवानिवृत्ति या पदत्याग, उस तारीख से प्रभावी होगा जो यथास्थिति पदच्युति, सेवोन्मुक्ति सेवानिवृत्ति पदत्याग या निर्मुक्ति के आदेश में उस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए और सम्यक् प्रकाश में उसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।,

(2) नौसेना विधि के अधीन व्यक्तियों की पदच्युति सेवोन्मुक्ति, सेवानिवृत्ति, पदत्याग या निर्मुक्ति का प्रभाव भूतलक्षी नहीं होगा।" ,

(45) विनियम 222 में,—

(1) उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) गैर तात्विक नौसैनिकों की दशा में "मास्टर चीफ साहिब" या "मुख्य पैटी आफिसर", या "पैटी आफिसर" जैसे उपपद या तत्समान उप पद सभी रैंकों द्वारा उस समय प्रयोग किए जाएंगे जब वे उन रैंकों को धारण करने वाले नौसैनिकों को सम्बोधित करें या उनसे बात करें।" ;

(ii) उपविनियम (3) में "पैटी आफिसर" शब्दों के स्थान पर "पैटी आफिसरों" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपविनियम (8) में, "भारतीय" शब्द का लोप किया जाएगा ,

(iv) उपविनियम (9) में, "निम्नतर" शब्द के स्थान पर "कनिष्ठ" शब्द रखा जाएगा,

(46) * * * *

(47) विनियम 230 में "भारतीय नौसैनिक पोत" शब्दों के स्थान पर "पोत" शब्द रखा जाएगा।

(48) विनियम 231 के उपविनियम (2) में "आफिसरों या अन्यों" शब्दों के स्थान पर "कार्मिक" शब्द रखा जाएगा ,

(49) विनियम 232 में ,—

(i) "भारतीय नौसेना पोत या वायुयान" शब्दों के स्थान पर "भारतीय नौसेना का पोत या वायुयान" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (क) में "पोत" शब्द के पश्चात् "या वायुयान" शब्द जोड़े जाएंगे ,

(50) विनियम 239 के उपविनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) यदि परिवादी अपने परिवाद पर निर्णय से संतुष्ट नहीं है या यदि वह यथास्थिति अपने परिवाद के पेश किए जाने के या अगले वरिष्ठ प्राधिकारी को प्रेषित किए जाने के एक मास के भीतर मांगा गया प्रतितोष प्राप्त नहीं करता है तो वह यह प्रार्थना कर सकेगा कि उसकी शिकायत अगले वरिष्ठ प्राधिकारी को और इसी प्रकार नौसेनाध्यक्ष को उप विनियम (1) और (2) के अनुसार कार्यवाही किए जाने के लिए अग्रेषित की जाए और अंततः सरकार को अग्रेषित की जाए और ऐसी सभी प्रार्थनाओं का अनुवर्तन किया जाएगा। यदि परिवादी को अपने परिवाद के प्रस्तुत किए जाने के छह मास के भीतर अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो परिवादी द्वारा अगले वरिष्ठ प्राधिकारी के समक्ष सीधे अपील करना न्यायोचित होगा।

(51) परिशिष्ट 2 के पैरा 5 के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) उन मामलों को छोड़कर जिसमें केन्द्रीय सरकार हितबद्ध हो पलीडर या अधिवक्ता को दी जाने वाली अधिकतम राशि उस राशि से अधिक नहीं होगी जो सरकारी प्लीडर या अधिवक्ता को संदेय है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की गई है" ;

(52) परिशिष्ट 3 के पश्चात् निम्नलिखित परिशिष्ट अन्तःस्थापित किया जाएगा :—

"परिशिष्ट 4"

नौसेना अधिनियम के अध्यधीन का ऐसा व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे अपराधों से आरोपित है जो सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं।

"भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 488 तारीख 9 फरवरी, 1978 , उन मामलों में प्रक्रिया जिनमें सेना या नौसेना या वायुसेना विधि के अध्यधीन व्यक्ति को ऐसे अपराध से आरोपित करके जिसके लिए वह सेना न्यायालय द्वारा विचारण का भी भागी है मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है।"

"का० आ० 488 केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 475 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दंड न्यायालय और सेना न्यायालय (अधिकारिता का समायोजन) नियम, 1952 को अधिक्रान्त करते हुए, थल सेना, जल सेना या वायु सेना विधि, या संघ के सशस्त्र बलों से संबंधित किसी अन्य विधि, के अधीन व्यक्तियों के उस न्यायालय द्वारा, विचारण के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. इन नियमों का नाम दंड न्यायालय और सेना न्यायालय (अधिकारिता का समायोजन) नियम 1978 है।

2. इन नियमों, में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ।

(क) "कमान अधिकारी" से,

(i) यह सेना संबंधी विधि के अधीन व्यक्ति के संबंध में यूनिट का, जिसका कि ऐसा व्यक्ति अंग है या जिससे वह संलग्न है, कमान आफिसर अभिप्रेत है ;

(ii) नौसेना संबंधी विधि के अधीन व्यक्ति के संबंध में उस पोत या नौस्थापन का जिससे ऐसा व्यक्ति तत्समय संलग्न है, कमान अफिसर अभिप्रेत है ;

(iii) वायु सेना संबंधी विधि के अधीन व्यक्ति के संबंध में उस यूनिट का जिसका कि ऐसा व्यक्ति अंग है या जिससे वह संलग्न है, तत्समय कमान आफिसर अभिप्रेत है ;

(ख) "सक्षम वायु सेना प्राधिकारी" से वायु सेनाध्यक्ष, या किसी कमांड, ग्रुप, विंग या स्टेशन का वायु, या अन्य कमान आफिसर जिसमें अभियुक्त व्यक्ति सेवा कर रहा है या जहां ऐसा व्यक्ति किसी फील्ड एरिया में सेवा कर रहा है वहां फील्ड में बलों या वायु सेवा का कमान आफिसर अभिप्रेत है।

(ग) "सक्षम थल सेना प्राधिकारी" से सेना कर्मचारिवृन्द प्रमुख या थल सेना, थल सेना कोर, डिवीजन, क्षेत्र, उपक्षेत्र या स्वतन्त्र ब्रिगेड का, जिसमें अभियुक्त सेवा कर रहा है, कमान आफिसर, और सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) की धारा 69 के अधीन आने वाले मामलों को जिनमें मृत्यु हो गई है, छोड़कर ब्रिगेड या उपक्षेत्र या स्टेशन का, जिसमें अभियुक्त व्यक्ति सेवा कर रहा है, कमान आफिसर अभिप्रेत है ;

(घ) "सक्षम नौसेना प्राधिकारी" से नौसेनाध्यक्ष या प्रमुख फ्लैग आफिसर कमान पश्चिमी नौसेना कमान मुम्बई या प्रमुख फ्लैग आफिसर कमान, पूर्वी नौसेना कमान विशाखापटनम या फ्लैग आफिसर कमान, दक्षिणी नौसेना क्षेत्र कोचिन या फ्लैग आफिसर कमान, पश्चिमी फ्लीट या फ्लैग आफिसर कमान, पूर्वी फ्लीट या ज्येष्ठ नौसेना अधिकारी जहां अभियुक्त व्यक्ति सेवा कर रहा हो।

3. जहां कि थल सेना, नौसेना या वायुसेना संबंधी विधि या संघ के सशस्त्र बलों से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के अधीन कोई व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है और उस पर ऐसा अपराध आरोपित किया जाता है जिसके लिए वह सेना न्यायालय द्वारा भी विचारण किये जाने का भी भागी है, वहां ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति का विचारण करने की या सत्र न्यायालय द्वारा विचारण के लिए उसकी सुपुर्दगी करने की दृष्टि से जांच करने की कार्यवाही तब तक नहीं करेगा जब तक कि —

(क) थलसेना, नौसेना या वायुसेना के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके लिए उसे समावेदन नहीं किया जाता है।

(ख) उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उसकी यह राय न हो कि उसे उन व्यक्तियों का इस प्रकार विचारण होना चाहिए उस प्राधिकारी द्वारा उसके लिए समावेदन के बिना भी ऐसी कार्यवाही की सुपुर्दगी करनी चाहिए।

4. नियम 3 के खंड (ख) के अधीन कार्यवाही करने के पूर्व मजिस्ट्रेट अभियुक्त के कमान आफिसर या यथास्थिति सक्षम थल सेना नौसेना या वायु सेना प्राधिकारी को एक लिखित सूचना देगा, और तब तक कि ऐसी सूचना को तामील होने के दिन से पन्द्रह दिन की अवधि समाप्त न हो जाए तब तक वह—

(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1972 का 2) की धारा 252, धारा 255 की उप धाराओं (1) और (2), धारा 256 की उपधारा (1) या धारा 257 के अधीन अभियुक्त को सिद्ध दोष या दोषमुक्त नहीं करेगा और न ही उक्त संहिता की धारा 254 के अधीन अभियुक्त को उसकी प्रतिरक्षा में सुनेगा , या

(ख) उक्त संहिता की धारा 240 या धारा 246 की उपधारा (1) के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध लिखित रूप में कोई आरोप विरचित नहीं करेगा , या

(ग) उक्त संहिता की धारा 209 के अधीन विचारण के लिए सत्र न्यायालय को अभियुक्त की सुपुर्दगी का आदेश नहीं देगा ; या

(घ) मामले को उक्त संहिता की धारा 192 के अधीन जांच या विचारण के लिए अन्तरित नहीं करेगा।

5. जहां कि नियम 3 के खंड (क) के अधीन, यथास्थिति थल सेना, नौसेना या वायु सेना के सक्षम प्राधिकारी मजिस्ट्रेट को समावेदन किया गया है और अभियुक्त का कमान आफिसर या यथास्थिति थल सेना, नौसेना या वायु सेना का सक्षम प्राधिकारी ऐसे मजिस्ट्रेट को तत्पश्चात् सूचना देता है कि ऐसे आफिसर या प्राधिकारी की राय में अभियुक्त का विचारण अधिविष्ट सेना न्यायालय द्वारा होना चाहिए वहां ऐसा मजिस्ट्रेट यदि उसने ऐसी सूचना प्राप्त करने के पूर्व नियम 4 के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) में निर्दिष्ट कोई कार्य नहीं किया है या कोई आदेश नहीं किया है तो कार्यवाही रोक देगा और यदि अभियुक्त उसकी शक्ति या उसके नियंत्रण के अधीन है तो उसे उसके इस प्रकार उक्त संहिता की धारा 475 में निर्दिष्ट कथन के साथ उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट आफिसर को पश्चिम कर देगा।

6 जहां कि नियम 4 में वर्णित 15 दिन की कालावधि के भीतर या उसके पश्चात् किसी समय किन्तु जब तक कि मजिस्ट्रेट द्वारा उस नियम में निर्दिष्ट कोई कार्य करने या कोई आदेश देने से पूर्व अभियुक्त का कमान आफिसर या, यथा स्थिति थल सेना, नौ-सेना या वायु सेना का सक्षम प्राधिकारी, मजिस्ट्रेट को सूचना देता है कि ऐसे आफिसर या प्राधिकारी की राय में अभियुक्त का विचारण सेना न्यायालय द्वारा होना चाहिए वहां मजिस्ट्रेट कार्यवाही रोक देगा और यदि अभियुक्त उसकी शक्ति या उसके नियंत्रण के अधीन है, तो उसे उक्त संहिता की धारा 47 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कथन के साथ उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट आफिसर को परिदत्त कर देगा।

7 (1) जब नियम 5 और 6 के अधीन अभियुक्त व्यक्ति मजिस्ट्रेट द्वारा परिदत्त कर दिया जाए, तब अभियुक्त का कमान आफिसर या यथास्थिति थल सेना नौ सेना या वायुसेना का सक्षम प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र मजिस्ट्रेट को इत्तिला देगा कि क्या अभियुक्त का विचारण अधिविष्ट सेना न्यायालय द्वारा किया गया है या अन्य प्रभावी कार्यवाही उसके विरुद्ध की गई है या किए जाने का आदेश दिया गया है।

(2) जब उपनियम (1) के अधीन मजिस्ट्रेट को इत्तिला दी गई हो कि अभियुक्त का विचारण नहीं किया गया है या अन्य प्रभावी कार्यवाही उसके विरुद्ध नहीं की गई है या किए जाने का आदेश नहीं दिया गया है, तब, मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को उन परिस्थितियों की रिपोर्ट देगा, और राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के परामर्श से यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा सकेगी कि अभियुक्त व्यक्ति पर विधि के अनुसार कार्यवाही की जाए।

8 पूर्ववर्ती नियमों में किसी बात के होते हुए भी जहां मजिस्ट्रेट की जानकारी में यह बात आती है कि थल सेना, नौसेना, या वायु सेना संबंधी विधि के या संघ की सशस्त्र बल संबंधी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, जिसके विषय में कार्यवाही उसके समक्ष संस्थित होनी चाहिए और थलसेना, नौसेना या वायुसेना के प्राधिकारियों के सिवाय ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति समाप्त नहीं की जा सकती वहां मजिस्ट्रेट लिखित सूचना द्वारा ऐसे व्यक्ति के कमान आफिसर से अपेक्षा कर सकता है कि वह या तो ऐसे व्यक्ति को उक्त सूचना में नामित मजिस्ट्रेट को उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए परिदत्त करे या यदि कार्यवाही संस्थित हो चुकी है तो सेना न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही रोक दे और केन्द्रीय सरकार से, और उस न्यायालय का अवधारण करने के लिए जिसके समक्ष कार्यवाही संस्थित की जानी चाहिए, निर्देश देने की अपेक्षा कर सकता है।

9 जहां थल सेना, नौसेना या वायु सेना संबंधी विधि या संघ की सशस्त्र बल संबंधी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, जिसका विचारण यथास्थिति, थल सेना, नौसेना या वायुसेना के सक्षम प्राधिकारी की राय में प्रवृत्त सिविल विधि के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा होना चाहिए या जहां नियम 8 में वर्णित निर्देश पर केन्द्रीय सरकार ने विनिश्चित किया है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही मजिस्ट्रेट के समक्ष संस्थित होना चाहिए, वहां ऐसे व्यक्ति का कमान आफिसर संबंधित मजिस्ट्रेट को लिखित सूचना देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को उचित अभिरक्षण के अधीन उस मजिस्ट्रेट को परिदत्त कर देगा।"

[फा० सं० एस एस/7452(पीसी)]

कौशल कुमार माथुर, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 1st September, 1981

S.R.O. 247.—In exercise of the powers conferred by section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Navy (Discipline and Miscellaneous Provisions) Regulations, 1965,* namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Navy (Discipline and Miscellaneous Provisions) (First Amendment) Regulations, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Navy (Discipline and Miscellaneous Provisions) Regulations, 1965 (hereinafter referred to as the principal regulations),—

(1) in regulation 2, after clause (d), the following clause shall be inserted, namely :—

'(dd) "Commanding Officer" means the officer or other person in actual command of a ship or establishment';

(2) in regulation 5, for the words "Deputy Chief of the Naval Staff", wherever they occur, the words "Vice Chief of the Naval Staff" shall be substituted;

(3) in regulation 7A,—

(a) in sub-regulation (1), for the words and figure "punishments No. 6" the words and figures "punishments No. 3, 5, 6," shall be substituted.

EARLIER AMENDMENTS TO THE NAVY (DISCIPLINE MISCELLANEOUS PROVISIONS) REGULATIONS, 1965.

Sl. No.	Regulation Amended	Authority for Amendment (Viz. SRO No.)
1.	209(9)	15E dated 15-5-67 (N.O. 183/67)
2.	221 [Substitution of Sub-Regulation (1)]	3E dated 27-3-68 (N.O. 546/68)
3.	7, 12, 21, 38, 41, 43, 65, 68, 70, 76	8E dated 8-7-68
4.	New Regulation 7A inserted	126 dated 5-1-70
5.	198 Sub-Regulation (1) to be substituted	65 dated 21-1-71
6.	220 Sub-Regulation (ii) to be inserted	314 dated 14-8-71
7.	7, 13, 30, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 53, 56, 59, 78, 84, 222, 225, 234, Appendix I	Year 1973
8.	73, 86 to be substituted. Appendix I in form 4 to be amended.	37 dated 20-12-73
9.	Throughout the Regulations for the word 'draft' and the word 'advancement' wherever occurs the word 'transfer' and the word 'promotion' shall be substituted.	360 dated 10 Nov. 75.
10.	7, 13, 16, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 53, 56, 59, 63, 74, 84, 103, 119, 222, 223, 234, and Appendix I amended.	199/74 dated 10-9-74
11.	189	2 dated 23 Dec. 78.

(b) in sub-regulation (4), for the words "disrated to a rate", the words "reduced to a rank" shall be substituted;

(4) in sub-regulation (1) of regulation 13, the words and figures "No. 7-Reduction to second class for conduct" shall be omitted;

(5) in regulation 14 for the words and figures "Punishment Nos. 1 to 5 and 7 to 9" the words and figures "Punishment Nos. 1 to 5 and 8 and 9" shall be substituted;

(6) in sub-regulation (3) of regulation 15, the figure "7" occurring after the words and figures "Nos. 4, 5" shall be omitted;

(7) for sub-regulation (5) of regulation 16 the following sub-regulation shall be substituted namely :—

"(5) Punishment warrants requiring approval of superior authority shall be accopanied by a summary of evidence recorded by the Commanding Officer";

(8) in regulation 19,—

(a) in sub-regulation (1), after the words "Comanding Officer", the words "or any other officer so authorised by him" shall be added,

(b) in sub-regulation (3), after the words "quarter deck", the words "or any other suitable place" shall be inserted;

(c) in sub-regulation (4), after the words "quarter deck", the words "or any other suitable place" shall be inserted;

(9) for sub-regulation (4) of regulation 29, the following sub-regulation shall be substituted namely :—

"(4) if the punishment to be awarded is likely to be a warrant punishment requiring approval of superior authority, a summary of the evidence given by the witnesses shall be recorded";

(10) in regulation 34, after sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be inserted namely :

"(7) whenever a sentence shall be passed by a Commanding Officer on an offender already under sentence of detention or imprisonment under these regulations for a former offence the Commanding Officer may award a sentence of detention or imprisonment for the offence, for which he is under trial, to commence at the expiration of the sentence of detention or imprisonment to which he has been previously sentenced :

Provided that so much of any term of detention or imprisonment awarded to a person in pursuance of this sub-regulation as will prolong the total term of detention or imprisonment beyond the maximum period of three months as specified in sub-regulation (1) of regulation 13, shall be deemed to be remitted,";

(11) for sub-regulation (3) of regulation 37, the following sub-regulation shall be substituted, namely :

"(3) the punishment of dismissal does not automatically entail any other punishment except deprivation of Good Conduct Medal. The punishment of reduction in rank or the deprivation of Good Conduct Badge(s) shall be included in the sentence, if appropriate.";

(12) in regulation 38, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be added, namely :—

"(3) if a Chief Petty Officer is reduced in rank summarily he shall be given the option of release from the naval service," ;

(13) for regulation 40, the following regulation shall be substituted, namely :—

"40 Fine in respect of civil offences (No. 5).—

(1) A fine not exceeding rupees two hundred and fifty may be imposed summarily when a sailor is found guilty of a civil offence and the amount of fine shall be credited to the Ship's Imprest Account.

(2) The Commanding Officer may, while passing the sentence of fine under sub-regulation (1), order the whole or any part of the fine recovered to be applied in the payment to any aggrieved person as compensation for any loss or injury caused to him by the said offence";

(14) in sub-regulation (5) of regulation 41, the words "and sailors shall not be reduced to second class for conduct for leave breaking offences unless it is an aggravated or fourth (or more often) repeated offence" occurring at the end shall be omitted ;

(15) the heading "Reduction to the second class for conduct (No. 7)" and regulations 51 to 54 occurring thereunder shall be omitted;

(16) in sub-regulation (3) of regulation 55, for the figures and letter "80°F", the figures, letter and word "30°C (Centrigrade)" shall be substituted;

(17) for regulation 56, the following regulation shall be substituted, namely :—

"56.—Restrictions regarding sailors holding Leading rank.—Sailors holding Leading ranks who can be reduced in rank shall not be sentenced to cell and sailors holding Leading ranks who cannot be reduced in rank may be awarded cell punishment but only for the following offences :—

(a) Gross insubordination;

(b) Desertion and deserting post;

(c) Sleeping on watch;

(d) Dishonesty;

(e) Smuggling;

(f) Quitting ship, boat or working party without leave;

(g) Drunkenness on duty;

(h) Aggravated or fourth (or later) repeated offences of absence without leave;

(i) Flagrant contravention of the censorship regulation;

(j) Gross misconduct on shore when not dealt with by the civil authority ; and

(k) Continual neglect of duty".;

(18) in regulation 58,—

(a) in sub-regulation (2), the following shall be added at the end, namely :—

"Alternatively, the offender may be given productive and useful task already learnt by him or which he can easily pick up.";

(b) in sub-regulation (3), for the words "shall be", the words "shall not be" shall be substituted.

(19) in sub-regulation (6) of regulation 59, clause (e) shall be omitted;

(20) in clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 63, for the words "Reduction to the second class for conduct", the words "Reduction in rank" shall be substituted;

(21) in regulation 64, for the words "leading ratings", the words "leading ranks" shall be substituted;

(22) in the heading of Chapter III, the words "under training" shall be omitted;

(23) in regulation 74,—

(a) in the opening sentence, the words "under training" shall be omitted;

(b) punishment No. 6 and the entry relating thereto shall be omitted;

(24) in each of the following regulations, for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely :—

(i) 79. "Confinement in cell (No. 4)" ;

(ii) 80. "Isolation (No. 5)";

(iii) 82. "Stoppage or Leave (No. 8)" ;

(iv) 83. "Extra Drill (No. 10)";

(v) 84. "Reduction in rank (No. 11)";

(25) regulation 81 shall be omitted;

(26) in regulation 93, for the word "emergency", the words "emergent need" shall be substituted;

(27) in sub-regulation (1) of regulation 94,—

(i) in clause (a), for the words "Chief of the Naval Staff", the words "Commanding Officer of the ship" shall be substituted;

(ii) in clause (b), after the word "officer", the words "or Master Chief Petty Officer or Chief Petty Officer" shall be added at the end;

(28) before regulation 115 and under the heading Civil Authority, the following regulation shall be inserted, namely :—

114A. Persons subject to the Act charged before Magistrate.—The rules regarding the procedure to be followed in cases where a person subject to naval law is brought before a Magistrate charged with an offence for which he is liable to be tried by a court-martial shall be as in Appendix IV ;

(29) for sub-regulation (2) of regulation 115, the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(2) No officer or sailor in naval custody shall be claimed by the civil authorities for trial in a civil court, except on a direction of the nature of Habeas Corpus made by a High Court or under an order by the Government in this behalf";

(30) for regulation 121, the following regulation shall be substituted, namely :—

"121. Conviction of an officer by civil court.—(1) Where, upon the conviction of an officer by a civil court, the Central Government or the Chief of the Naval Staff considers that the conduct of the officer which has led to his conviction renders his further retention in service undesirable, a certified copy of the judgment of the civil court convicting him shall be submitted to the Central Government with the recommendation of the Chief of the Naval Staff as to the termination of the officer's service in the manner specified in sub-regulation (2)";

(2) While submitting a case to the Central Government under the provisions of sub-regulation (1), the Chief of the Naval Staff shall make his recommendation whether the officer's service should be terminated, and if so, whether the officer should be—

(a) dismissed from the service ; or

(b) discharged from the service ; or

(c) called upon to retire ; or

(d) called upon to resign.

(3) The Central Government after considering the judgment of the civil court and the recommendation of the Chief of the Naval Staff may dismiss or discharge from the service the officer with or without pension or call upon him to retire or resign, and on his refusing to do so, the officer may be compulsorily retired from the service on pension or gratuity, if any, admissible to him.";

(31) in regulation 136,

(a) in sub-regulation (1), after the words "found guilty", the words "Good Conduct Badges shall be forfeited and" shall be inserted ;

(b) in sub-regulation (4), after the letters and words "L.S.&G.C. medal", the words "and Good Conduct Badges" shall be inserted ;

(32) for sub-regulation (1) of regulation 138, the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(1) The procedure to be followed in respect of arrest and subsequent disposal of a deserter shall be governed by the provisions of sub-section (1) of section 41, section 56 and section 475 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and sections 83, 84 and 85 of the Act";

(33) for regulation 139, the following regulation shall be substituted, namely :—

"139. When charged before a Magistrate.—Under sub-section (1) of section 41 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) a person may be arrested without a warrant on suspicion of being a deserter from the Indian Navy and when he is so arrested, the police officer arresting him shall produce him before a magistrate." ;

(34) in sub-regulation (1) of regulation 146, for the words and figure "Rs. 5" the words and figures "Rs. 100" shall be substituted ;

(35) for sub-regulation (3) of regulation 155, the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(3) Every charge sheet shall begin with the name and description of the person charged and state his rank, the number and the ship to which he belongs.";

(36) for regulation 158, the following regulation shall be substituted, namely :—

"158. Amendment to circumstantial letter.—The convening authority may make such amendments in the circumstantial letter as may appear to be necessary on the basis of the charges framed and the summary of evidence. In such a case, a notation 'As amended by the convening authority' shall be made on top of the first page of the circumstantial letter as well as all amendments shall be authenticated by the convening authority with his signatures. The circumstantial letter as finally approved shall be signed by the convening authority to indicate his approval." ;

(37) for regulation 177, the following regulation shall be substituted, namely :—

"177. When accused pleads guilty.—Before the court accepts a plea of guilty and there are no other charges to be tried, the court shall call upon the prosecutor to read the circumstantial letter.";

(38) after regulation 185, the following regulation shall be inserted, namely:—

"185-A.—Reason for finding in navigational cases.—The reasons for finding of 'guilty' or 'not guilty' including cases where the court accepts the 'plea of no case to answer' on charges under sections 55 and 55A shall be recorded." ;

(39) before regulation 187, the word "General" as centre heading shall be inserted;

(40) after regulation 193, the following regulation shall be inserted, namely:—

"193A. Powers of the court-martial to award minor punishments.—Without prejudice to the minor punishments as may be inflicted according to the custom of the Navy, a court-martial may award the following punishments in accordance with the provisions of these regulations:—

(a) Solitary confinement in a cell or under a canvas screen for a period not exceeding fourteen days (No.8);

(b) Deprivation of Good Conduct Badge and Good Conduct Medal (No. 9);

(c) Extra work and drill for a period not exceeding fourteen days (No. 11);

(d) Stoppage of leave for a period not exceeding 60 days (No. 12);

(e) Extra work or drill for not more than two hours in a day for a period not exceeding seven days (No. 13).";

(41) in regulation 209, the following Explanation shall be added at the end, namely:—

"Explanation.—For the purpose of this regulation 'proceedings' shall include findings of the board but shall not include recommendations of the board.";

(42) in regulation 215,—

(i) in sub-regulation (1), for the words "read by the officers", the words "read by the office" shall be substituted;

(ii) sub-regulation (3) shall be omitted;

(43) in regulation 216,

(i) sub-regulation (4) shall be omitted;

(ii) in sub-regulation (5),

(a) the words and figures and brackets "or sub-regulation (4)" shall be omitted;

(b) the existing clauses (a), (b) and (c) shall be relettered as clauses (b), (c) and (d) respectively and before clause (b) as so relettered, the following clause, shall be inserted, namely :—

"(a) dismissed from the naval service; or"

(iii) in sub-regulation (6),

(a) the words "or the judgment of the civil court", shall be omitted ;

(b) for the words "may discharge", the words may dismiss or discharge" shall be substituted ;

(44) for regulation 219, the following regulation shall be substituted, namely:—

"219. Date from which dismissal, discharge, retirement, resignation takes effect.—(1) The dismissal or discharge of an officer under section 15 or the retirement designation or release of such officer shall take effect from the date specified in that behalf in the order of dismissal, discharge, retirement, resignation or release, as the case may be, and shall be notified in due course in the Official Gazette.;

(2) The dismissal, discharge, retirement, resignation or release of persons subject to naval law shall not be retrospective."

(45) in regulation 222,—

(i) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(2) the prefix 'Master Chief Sahib' or 'Chief Petty Officer' or 'Petty Officer' or the corresponding prefix in the case of non-seaman sailors shall be used by all ranks when addressing or speaking of sailors holding those ranks." ;

(ii) in sub-regulation (3), for the words "Petty Officer", the words "Petty Officers" shall be substituted;

(iii) in sub-regulation (8), the words "Indian" shall be omitted;

(iv) in sub-regulation (9), for the words "inferiors", the word "Juniors" shall be substituted;

(46) in sub-regulation (1) of regulation 226, the word "been" shall be omitted ;

(47) in regulation 230, for the words "Indian Naval Ship", the word "ship" shall be substituted;

(48) in sub-regulation (2) of regulation 231, the words "officers or others", the word "personal" shall be substituted ;

(49) in regulation 232,—

(i) for the words "Indian Naval Ship or aircraft", the words "ship or aircraft of the Indian Navy" shall be substituted;

(ii) in clause (a), after the word "ship", the words "or aircraft" shall be added at the end;

(50) for sub-regulation (3) of regulation 239, the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(3) If the complainant is not satisfied with the decision on his complaint, or if he does not get the redress asked for within a period of one month from the date of submission of his complaint or the date of its despatch to the next superior authority, as the case may be, he may request that his complaint be forwarded to the next superior authority and so on to the Chief of the Naval Staff to be dealt with in accordance with sub-regulations (1) and (2) and finally to the Government and all such requests shall be complied with. The complainant shall be justified in appealing direct to the next superior authority if he does not receive the final reply within a period of six months from the date of submission of his complaint.";

(51) for clause (b) of para 5 of Appendix II, the following clause shall be substituted, namely:—

"(b) Except in cases in which the Central Government are interested, the maximum amount that may be paid to the pleader or the advocate shall not exceed the amount payable to the Government pleader or advocate as fixed by the Central Government";

(52) After Appendix III, the following Appendix shall be inserted, namely:—

"Appendix IV

PERSON SUBJECT TO THE NAVY ACT CHARGED BEFORE A MAGISTRATE WITH OFFENCES TRIABLE BY COURT-MARTIAL.

(See Regulation 114A)

"Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. SO 488 dated the 9th February, 1978. Procedure in cases where a person subject to Military, Naval or Air Force Law is brought before a Magistrate charged with an offence for which he is liable to be tried by a Court-Martial."

S.O. 488.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 475 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), and in supersession of the Criminal Courts and Court-martial (Adjustment of Jurisdiction) Rules, 1952, the Central Government hereby makes the following rules for the trial of the persons subject to military, naval or air force law, or any other law relating to the Armed Forces of the Union by a Court to which the said Code applies, or by a Court-martial, namely :—

1. These rules may be called the Criminal Courts and Court-martial (Adjustment of Jurisdiction) Rules, 1978.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "commanding officer";

(i) in relation to a person subject to military law, means the officer commanding the unit to which such person belongs or is attached;

(ii) in relaton to a person subject to naval law, means the Commanding Officer of the ship or naval establishment to which such person for the time being belongs; and

(iii) in relation to a person subject to air force law, means the officer for the time being in command

of the unit to which such person belongs or is attached ;

(b) "competent air force authority" means the Chief of the Air Staff, the air or other officer commanding any Command, Group, Wing or Station in which the accused person is serving in field area, the Officer Commanding the forces of the air forces in in the field ;

(c) "competent military authority" means the Chief of Army Staff or Officer Commanding the army, army corps, division, area, sub-area or independent brigade in which the accused person is serving, and, except in cases falling under section 69 of the Army Act, 1950 (46 of 1950) in which death has resulted, the officer commanding the brigade or sub-area or station in which the accused person is serving;

(d) "competent naval authority" means the Chief of the Naval Staff or the Fag Officer Commanding-in Chief, Western Naval Command, Bombay or the Flag Officer Commanding-in-Chief, Eastern Naval Command, Visakhapatnam or the Falg Officer Commanding Southern Naval Area, Cochin or the Flag Officer Commanding, Western Fleet or the Flag Officer Commanding, Eastern Fleet Senior Naval Officer where the accused person is serving.

3. Where a person subject to military, naval or air force law, or any other relating to the Armed Forces of the Union for the time being in force is brought before a Magistrate and charged with an offence for which he is also liable to be tried by a Court-martial, such Magistrate shall not proceed to try such person or to commit the case to the Court of Session, unless—

(a) he is moved thereto by a competent military, naval or air force authority ; or

(b) he is of opinion, for reasons to be recorded, that he should so proceed or to commit without being moved thereto by such authority.

4. Before proceeding under clause (b) of rule 3, the Magistrate shall give a written notice to the commanding officer or the competent military, naval or air force authority, as the case may be, of the accused and until the expiry of a period of fifteen days from the date of service of the notice he shall not:—

(a) convict or acquit the accused under section 252, sub-sections (1) and (2) of section 253 sub-section (1) of section 256 or section 257 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), or hear him in his defence under section 254 of the said code ; or

(b) frame in writing a charge against the accused under section 240 or sub-section (1) of section 246 of the said code ; or

(c) make an order committing the accused for trial to the Court of Session under section 209 of the said code ; or

(d) make over the case for inquiry or trial under section 192 of the said Code.

5. Where a Magistrate has been moved by the competent military, naval or air force authority, as the case may be, under clause (a) of rule 3, and the commanding officer of the accused or the competent military, naval or air force authority, as the case may be, subsequently gives notice to such Magistrate that, in the opinion of such officer or authority, the accused should be tried by a courtmartial, such Magistrate if he has not taken any action or made any order referred to in clauses (a), (b), (c) or (d) of rule 4 before receiving the notice shall stay the proceedings, and, if the accused is in his power or under his control, shall deliver him together with the statement referred to in sub-section (1) of section 475 of the said code to the officer specified in the said sub-section.

6. Where within the period of fifteen days mentioned in rule 4, or at any time thereafter but before the Magistrate takes any action or makes any order referred to in that rule, the commanding officer of the accused of the competent military, naval or air force authority, as the case may be, gives notice to the Magistrate that in the opinion of such officer or authority, the accused should be tried by a court-martial, the Magistrate shall stay the proceedings, and if the accused is in his power or under his control, shall deliver him together with the statement referred to in sub-section (1) of section 475 of the said Code to the officer specified in the said sub-section.

7. (1) When an accused has been delivered by the Magistrate under rule 5 or 6, the commanding officer of the accused or the competent military, naval or air force authority as the case may be, shall, as soon as may be, inform the the Magistrate whether the accused has been tried by a court-martial or other effectual proceedings have been taken or ordered to be taken against him.

(2) When the Magistrate has been informed under sub-rule (1) that the accused has not been tried or other effectual proceedings have not been taken or ordered to be taken against him, the Magistrate shall report the circumstances to the State Government which may, in consultation with the Central Government, take appropriate steps to ensure that the accused person is dealt with in accordance with law.

8 Notwithstanding anything in the foregoing rules, where it comes to the notice of a Magistrate that a person subject to military, naval or air force law, or any other law relating to the Armed Forces of the Union for the time being in force has committed an offence, proceedings in respect of which ought to be instituted before him and that the presence of such person cannot be procured except through military, naval or air force authorities, the Magistrate may by a written notice require the commanding officer of such person either to deliver such person to a Magistrate to be named in the said notice for being proceeded against according to law or to say the proceedings against such person before the court-martial if since instituted, and to make a reference to the Central Government for determination as to the court before which proceedings should be instituted.

9. Where a person subject to military, naval or air force law, or any other law relating to the Armed Forces of the Union for the time being in force has committed an offence which in the opinion of competent military, naval or air force authority, as the case may be, ought to be tried by a Magistrate in accordance with the civil law in force or where the Central Government has on a reference mentioned in rule 8, decided that proceedings against such person should be instituted before a Magistrate, the commanding officer of such person shall after giving a written notice to the Magistrate, concerned deliver such person under proper escort to that Magistrate."

[F. No. NI/7452(PC)]

K. K. MATHUR, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1981

का० नि० आ० 248.— छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री वी० एन० सक्सेना कार्यकारी मजिस्ट्रेट के त्यागपत्र को स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, पचमढ़ी की सदस्यता में एक रिक्ति हो गई है।

[फाइल संख्या 19/52/सी/एल एन्ड सी/66/2499/सी/बी/(क्यू एण्ड सी)]

New Delhi, the 1st September, 1981

S.R.O. 248.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vecency has occurred in the membership of the Cantonment Board Pachmarhi by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Shri V. N. Saxena Executive Magistrate.

[File No. 19/52/C/L&C/66/2499|C|D(Q&C)]

का० नि० आ० 249.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जिला मैजिस्ट्रेट होशंगाबाद द्वारा इस अधिनियम की धारा 13(4)(ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री वी० एन० मिश्रा कार्यकारी मैजिस्ट्रेट को, श्री वी० एस० सक्सैना कार्यकारी मैजिस्ट्रेट के स्थान पर जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, छावनी बोर्ड, पचमढ़ी का सदस्य मनोनीत किया है।

[फाइल संख्या 19/52/सी/एल एण्ड सी/66/2499/1/सी/डी/(क्यू एण्ड सी)]
आदित्य कुमार, अवर सचिव

S.R.O. 249.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Shri V. N. Mishra Executive Magistrate has been nominated as a member of the Cantonment Board Pachmarhi by the District Magistrate/Hoshangabad in exercise of the power conferred under Section 13(4)(b) of that Act vice Shri V. N. Saxena Executive Magistrate resigned.

[File No. 19/52/C/L&C/66|2499|1-C|D(Q&C)]
ADITYA KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1981

का० नि० आ० 250.— राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31 वां) की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, 29 सितम्बर 1981 से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को राष्ट्रीय कैडेट कोर केन्द्रीय सलाहकार समिति का गैर-सरकारी सदस्य नियुक्त करती है :—

(1) डा० कुमारी के० के० गोरोवारा

(2) मेजर जनरल एच० एन० सिंघल (सेवानिवृत्त)

(3) सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली

[मामला सं० 11(17)/81/डी (जी० एस० VI)]
एम० एल० कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd Septemberr, 1981

S.R.O. 250.—In exercise of the powers, conferred by clause (h) of sub-section (1) of section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948), the Central Government hereby nominates the following persons as non-official members of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps for a period of three years commencing from the 29th September 1981.

(i) Dr. Miss K. K. Gorowara,
(ii) Maj. Genl. H. N. Singhal (Retd.)
(iii) The Secretary, Association of Indian Universities, New Delhi.

[Case No. F. 11(17)/81/D(GS. VI)]
M. L. KAPOOR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION, DELHI-110054. 1981